कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।

पत्रांक 606 / 14 आगरा, दिनांक, 26 ,अगस्त, 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– जनपद आगरा फतेहाबाद मार्ग (एस0एच0–62) कि0मी0 23 व 24 के मध्य चैनेज 23.280 की दांयी पटरी पर ग्राम–मेवली कंला के खसरा संख्या–1187, 1188 व 1191 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किए जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निमार्ण हेतु 0.0748 हे0 (संशोधित 0.0750 हे0) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भ :– वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यापरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) पत्र सं0–8बी / 06 / 39 / 2016 / एफ0सी0 / 93 दिनांक 18.05.2016 एंव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा का पत्रांक 562 / 22–1 दिनांक 20.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराया है, जो निम्न प्रकार प्रेषित है :–

आपत्ति	भारत सरकार की आपत्ति	आपत्ति का निस्तारण
1	As per the details provided on page 6A (part II online) at Sr no. 4 regarding working plan prescription mentioned in"No Data' why no data has been providd?	संशोधित कर दिया गया है।
2	As per the details provided on page 6A (part Ii online) at Sr no 6 regarding note on vulnerability of forest area to erosion 'No' what does it mean?	संशोधित कर दिया गया है।
3	The proposal is without affixing seal of various officials & outhorized signatory on behalf of user agency.	सील लगा दी गई है।
4	The forest area details mentioned on certificate at page 12 is incorrect.	संशोधित कर दिया गया है।
5	The site suitability certificate is not as per GOI formal.	निर्धारित प्रपत्र में उपयुक्ता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	The certificates/undertakings on behalf of user agency need counter signature of the concerned DFO.	सभी बचनबद्वता प्रतिहस्ताक्षर कर दी गई है।
7	The forest land notification on page 27&28 are signed by the Range Officer which needs signature of DFO rather of Range Officer.	हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।
8	Most of the papers have been counter signed by the Range Officer rather DFO. DFO is expected to know that Range Officer is not competent to sign any papers FCA proposal.	हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

	The forest area calculation shown on page 40 and approved lay out plan (Xerox copy) at page 64 does not match.	संशोधित प्रति संलग्न है।
10	The approved layout plan with all the conditions imposed by NHAI/SPWD needs submission with the proposal.	संशोधित लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति संलग्न है।
11	The topo sheet at page 46 os without title.	टाइटल अंकित कर दिया गया है।
12	The geo refrenced map for compensatory afforestation is without GPS coordinates of key points.	संशोधित मानचित्र संलग्न है।
13	The estimate of compensatory afforestion scheme is signed ny the range officer who is not competent of sign.	हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।
14	The google map at page II is showing proposed forest land for diversion shows existence of trees at the proposed diversion site which further gets reinforced with photographs attached. The .kml file for proposed forest land diversion site also shows existence of trees. This needs to be clareified.	रिटेल आउट लेट (पेट्रौल पम्प) के निमार्ण में निकास एंव प्रवेश मार्ग जो संरक्षित वनभूमि है, में कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।
15	The geo peferenced map shows proposed forest area in polyline format rather than required polygon format.	संशोधित के0एम0एल0 फाइल एंव सी0डी0 संलग्न है।
16	The topo sheet at page 62 is without title.	टोपोसीट पर टाइलस अंकित कर दिया गया है।
17	The proposal is without NPV calculation sheet.	एन0पी0वी0 गणना सीट संलग्न है।
18	The .kml file uploaded for proposed compensatory afforestation shows location of CA patch in food planins of rivers. The site suitalility of the CA location needs to be checked.	आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है।

संलग्नक :– यथोक्त।

भवदीय,

(विष्णु सिंह)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 606 / 2–1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके पत्र 562/22–1 दिनांक 20.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि मण्डलीय प्रबन्धक ,एस्सार ऑयल लि0 ए–5, सेक्टर–3, नोएडा, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

(विष्णु सिंह)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।